

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-368/2019

रामाशीस सिंह यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

वीडयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री आलोक लाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी (ओं) के लिए : ए०जी० के ए०सी०

03/09.10.2020 याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 24.1.2019 के अनुल्लंघनरीय आदेश का अनुपालन न करने के कारण रिट याचिका (एस) संख्या 3108/2018 खारिज कर दी गई है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि भूलवश वह अनिवार्य समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं कर सका। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि जैसे ही डब्ल्यू०पी० (एस) संख्या 3108/2018 को पुनःस्थापित किया जाएगा, त्रुटियों को दूर कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है। नतीजतन, डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3108/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित कर दिया गया है।

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को चार सप्ताह के भीतर दूर किया जाना चाहिए।

(आनंदा सेन, न्याया0)